


# कार्यालय निर्देशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

निम्नांकित कार्मिकों का उनके नाम के आगे अंकितानुसार लोक सेवा आयोग/विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेशों के क्रम में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की सहमति/अनुमति प्रदान की जाती है। सम्बन्धित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना-पत्र के आधार पर नियमानुसार कार्यमुक्त करें।

क्रस	कार्मिक का नाम	पदस्थापन स्थान राउमावि/ राबाउमावि	विषय	जन्मतिथि	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	बन्ती देवी	चांदेलाव-बिलाड़ा -जोधपुर	इतिहास	15.02.1982	राज.सरकार राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांक राम/प-2(13)रातस/वैच-29/2019/6121 दिनांक 01.07.2019


उक्त कार्मिक अगर परिवीक्षाधीन अवधि में है तो इनका विभाग में नियमानुसार लियन नहीं रहेगा। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिकों को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।

  
(नथमल डिंडेल)  
IAS  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इति-वाणि/एनओसी/2019

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
- 2 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 4 संबंधित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवावें।
- 5 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग/संस्था सी-ओए/एसीआर अनुभाग
- 6 सम्बन्धित कार्मिक/निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक- 12/7/19